न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17 / 2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामनिवास पुत्र अन्नाराम जाति मेघवाल निवासी झाडेली तहसील डेह जिला नागौर		तहसीलदार डेह, तहसील डेह, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. श्री भगवानसिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 18.12.2023

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39 / 2022 सरकार बनाम रामनिवास में निर्णय दिनांक 07.03.2022 के तहत मौजा झाडेली की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.04.23 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 12.04.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार डेह की पत्रावली संख्या 39 / 22 सरकार बनाम रामनिवास की फोटोप्रति, फोटोग्राफ–4 की फोटोप्रति, ग्राम झाडेली की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 76 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, एसडीएम जायल को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि उक्त प्रकरण में कोई नोटिस अपीलांट को कभी प्राप्त नहीं हुआ, नोटिस की अपीलांट पर कोई सम्यक तामिल नहीं हुई व रिपोर्ट में अपीलांट की पुत्री से तामिल करवाने की मिथ्या रिपोर्ट कर दी, किसके सामने कब व कैसे तामिल हुई कोई खुलासा तथ्य दर्ज नहीं किये व उसे तामिल मानकर अपीलांट को जवाबदेही का अवसर दिये बिना उसी दिन दिनांक 7.3.22 को अपीलांट गैर सायल की अनुपस्थिति दर्ज कर जवाबीदेही साक्ष्य सबूत का अवसर बंद कर उसे कथित भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखली व जुर्माने का एकतरफा आदेश दिनांक 7.3.22 को पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी व हाल ही में स्थानीय निकाय वाले व अपीलांट से अदावत रखने वाले अपीलांट की उक्त रास्ता के चिपती उतर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1422 / 142 में से सडक बनाने की गांव में चर्चा होने व अपीलांट के विरूद्व तहसील कार्यालय से बेदखली का आदेश होने की चर्चा सुंनने पर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर अपीलांट ने पता किया व नकलो का आवेदन करने पर दिनांक 29.03.23 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई जानकारों को पढाने व तहसील में पता करने पर पूरी जानकारी हुई व अपील की कानूनी राय मिली लेकिन दिनांक 30.03.2023 को रामनवमी का अवकाश आ जाने से बिना देरी यह अपील पेश की गई। जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायाल का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत, दुर्भावनापूर्वक, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच किये, बिना अतिक्रमी साबित हुए ही पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– प्रथम आदेशिका दिनांक 28.02.2022 में अपीलांट के विरूद्व प्रकरण दर्ज करके जरिये

अपर कलक्टर, नागौर

नोटिस दिनांक 07.03.2022 को तलब किये जाने का अंकन है लेकिन अपीलांट पर सम्यक तामिल होने की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है अपीलांट की पुत्री से तामिल होना मिथ्या बताया गया है उप तहसीलदार डेह ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का कोई समुचित अवसर भी नहीं दिया व उसी दिन जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर बंद कर सरसरी जांच उपरांत गेर सायल अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने का एकतरफा निर्णय पारित कर दिया है जिससे वास्तविक स्थिति पत्रावली पर नहीं आ सकी है व अपीलांट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है बिना कोई अतिक्रमण हुए अपीलांट को सुने बिना अतिक्रमी घोषित करने का एकतरफा निर्णय पारित कर दिया है जिससे वास्तविक स्थिति पत्रावली पर नहीं आ सकी है व अपीलांट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है बिना कोई अतिक्रमण हुए अपीलांट को सुने बिना अतिक्रमी घोषित कर दिया है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)– अपीलांट का उक्त खसरा नम्बर 93 रास्ता के किसी भी भूभाग पर कोई कब्जा अतिक्रमी कभी नहीं रहा है उक्त रास्ता ग्राम झाडेली से कमेडिया जाने वाला कदीमी समय से जितना मौके पर है उसी अनुसार आज दिन है व पूर्व में सरकारी योजना अनुसार दो बार मुरड सडक भी उस पर बन चुकी है व आज दिन उसी अनुसार रास्ता चल रहा है लेकिन अब स्थानीय राजनेतिक अदावत रखने वाले कुछ व्यक्ति विशेष के दबाव व प्रभाव में आकर रास्ता मौके पर होते हुए भी उसे छोड कर अपीलांट की खातेदारी की भूमि में सडक बनाना चाहते है इसी दुराशय से पटवारी पर दबाव बना कर मिथ्या रिपोर्ट करवा कर अत्यंत ही जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के आनन फानन में अपीलांट के विरूद्व उक्त निर्णय जैर अपील बाले बाले पारित करवाया होने से विधि सम्मत नहीं होकर निरंकुश निर्णय की तारीफ में आता है जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने अपने स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना व किसी भी ग्राम वासी की कोई शिकायत हुए बिना ही पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर व अपीलांट से कोई जवाब साक्ष्य सबूत लिये बिना जल्दबाजी में निर्णय जेर अपील पारित कर दिया तथा किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उक्त निर्णय पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–ग्राम पंचायत झाडेली वालों ने व्यक्ति विशेष के दबाव व प्रभाव में आकर रास्ता को छोड कर अन्यत्र रास्ता कायम कर सडक बनाने पर आमादा होने से व्यथित होकर काश्तकार ग्रामवासी ग्राम झाडेली ने एक सामुहिक प्रतिवेदन एस.डी.एम. जायल के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत झाडेली द्वारा ग्राम झाडेली में कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 93 जो झाडेली से कमेडिया चलता है जिस पर ग्रेवल सडक निर्माण किया गया था लेकिन अब ग्राम पंचायत झाडेली द्वारा उक्त कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 93 पर ग्रेवल सडक निर्माण नहीं करके पास में जबरन सडक निर्माण करवाया जाकर कटाणी रास्ता का स्थान परिवर्तत किया जा रहा है आमजन को रहवासी प्लोट, बाडा आदि के रास्ता से वंचित किया जा रहा है जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है तथा कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 93 को मौका से अलग किया जाकर नई ग्रेवल सडक निर्माण करवाई जा रही है उसकी जांच करके अवेध ग्रेवल सडक निर्माण को रूकवाया जावे ताकि आमजन को परेशानी नहीं हो। इसके अलावा जिला कलक्टर नागौर को भी ज्ञापन दिया व मौके पर मुरड डाला हुआ रास्ता खुला है जिसकी फोटोग्राफ भी पेश है तथा उच्च अधिकारियों को निवेदन करने पर तहसीलदार वगैरा स्थानीय प्रशासन वाले मौके पर आये भी थे उन्होंने भी मौके पर कदीमी समय से उक्त रास्ता पर मुरड सडक बनी होना माना व अपीलांट का रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं माना था, इसके बावजूद उक्त पूर्व के निर्णय की आड में पटवारी हल्का वगैरा कुछ व्यक्ति विशेष के दबाव व प्रभाव में आकर अपीलांट को उसकी खातेदारी हक स्वामित्व की भूमि से बेदखल कर उसमें रास्ता कायम करना चाहते है ऐसी स्थिति में भी निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व तरीके से व धोखे से पारित करवाया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा झाडेली में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39/2022 सरकार बनाम रामनिवास में निर्णय दिनांक 07.03.2022 के

अपर कलक्टर, नागौर

तहत मौजा झाडेली की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है, आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर